**भारत सरकार**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

अतारांकित प्रश्न सं0 17

22-11-2011 को उत्तर के लिए

**'' उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना ''**

**17 : श्रीमती कुसुम राय :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद नगर निगम ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना के लिए स्थल का चुनाव करते समय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 का पालन नहीं किया था ;

(ख) इस विधि में ऐसे संयंत्रों को स्कूलों, धार्मिक स्थलों और रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थापित किए जाने की आवश्यकता की जो संकल्पना की गई है, उसे नजरअंदाज किए जाने के कारण क्या है ;

(ग) क्या इस परियोजना के प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ई0आई0ए0)/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ई0एम0पी0) का प्रारुप प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को हुई जन सुनवाई के मद्देनजर प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

**(क) से (ड)** **:** गाजियाबाद नगर निगम द्वारा डूंडाहेड़ा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थल को अभिज्ञात करने तथा उत्तर प्रदेश सरकार के टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है । राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय, स्थल की अनुकूलता पर विचार किया जाएगा । इस संबंध में जनसुनवाई की गई है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*